न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक

(लोकेश कुमार गौतम, आर00ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

पत्रावली संख्याः— 12/2013
प्रविष्टि दिनांकः— 30.01.2013

सरकार जरिये तहसीलदार मालपुरा

..... प्रार्थी

बनाम

1—सीताराम |
2—हनुमान |
3—गोविन्दनारायण | पि0 लक्ष्मीनारायण जाति ब्राहमण निवासी किरावल तहसील
4—हरिनारायण | मालपुरा जिला टोंक राज0
5—लालाराम |
6—नर्बदा |

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956

उपस्थितः—(1) श्री जुगनू शर्मा, राजकीय अभिभाषक प्रार्थी की ओर से।
(2) श्री प्रमोद शर्मा, अभिभाषक अप्रार्थीगण

अभिशंषा

दिनांक 08.02.2018

1. संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी (तहसीलदार मालपुरा) द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राज0 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 1269/3.03, 1293/1.09, 1294/0.05, 1421/2.06, 1385/1.10, 1297/1.00, 1360/2.02,1365/0.12 बीघा कुल रकबा 12.07 बीघा वाके ग्राम किरावल तहसील मालपुरा जो तालाबी I है का आवण्टन बालू पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी किरावल तहसील मालपुरा का दिनांक 7—04—69 को किया गया है तथा उक्त आवण्टन के आधार पर विवादित भूमि का गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 255 एवं खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 1176 दि0 18.02.2005 से आवण्टी के हक में अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया है। आवंटी के फौत हो जाने पर विवादित उक्त भूमि का नामांतकरण सं0 1177 उसके भाई लक्ष्मीनारायण के नाम स्वीकार किया गया। लक्ष्मीनारायण पि.मु. बालू व लक्ष्मीनारायण पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण एक ही होने से विरासत का नामांतकरण सं0 1336 उसके वारिसान/अप्रार्थीगण के पक्ष में अमल राजस्व रिकार्ड में किया गया। चूंकि उक्त भूमि खतौनी भूप्रबन्ध जमाबन्दी सं0 2010 में स.तालाबी I दर्ज थी। अतः उक्त भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 में वर्णित होने से आवण्टन योग्य नहीं है। ऐसी भूमियों को पूर्ववत रखे जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय ने डी0बी0सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार में निर्णय दिनांक 2.08.2004 में भी उल्लेख किया है तथा उक्त निर्णय की पालना में यह रेफरेन्स प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवण्टन आदेश व उसकी पालना में आवंटी के पक्ष में भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तकरण संख्या 255, व

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 1176 तथा आवंटी के वारिसान के पक्ष में भरे गये नामांतकरण सं0 1177,1336 निरस्त करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाये जाने की कृपा करें।

2. प्रार्थना पत्र प्रार्थी न्यायालय में प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी के अभिभाषक को बहस के कई अवसर दिये जाने पर भी बहस नहीं किये जाने पर बहस का अवसर बंद किया जाकर बहस राजकीय अभिभाषक सुनी गई।

3. राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 1269/3.03, 1293/1.09, 1294/0.05, 1421/2.06, 1385/1.10, 1297/1.00, 1360/2.02,1365/0.12 बीघा कुल रकबा 12.07 बीघा वाके ग्राम किरावल तहसील मालपुरा जो तालाबी ा है का आवण्टन बालू पुत्र जगन्नाथ जाति ब्राहमण निवासी किरावल तहसील मालपुरा का दिनांक 7–04–69 को किया गया है जबकि विवादित भूमि तालाबी ा है जो जमाबन्दी सं0 2059–60 से प्रकट है। चूंकि भूमि की किस्म तालाबी ा है। नदी, नाले, तालाबो (प्राकृतिक स्त्रोतो) की भूमि जो राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है वह आवण्टन योग्य नहीं है। इन भूमियों पर खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते है। माननीय उच्च न्यायालय ने भी डी0बी0 सिविल रिट याचिका सं0 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार निर्णय दिनांक 2.08.04 में ऐसी भूमियों की जो खातेदारियां दी गई है, पूर्ववत स्थिति में किये जाने का निर्णय पारित किया है तथा उक्त निर्णय की अनुपालना में ही प्रार्थी द्वारा प्रकरण प्रस्तुत किया है। अतः उक्त आवण्टन आदेश व उसके आधार पर भरे गये नामान्तरकरण संख्या 255, 1176,1177 एवं 1336 से आवंटी व उसके वारिसान/अप्रार्थीगण के हक में विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड में अमल हुआ है को निरस्त करवाये जाने हेतु यह प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित किया जाना न्यायोचित होगा।

4. हमने विद्वान राजकीय अभिभाषक की बहस को सुना एवं मनन किया। विवादित भूमि आराजी खसरा नंबर 1269/3.03, 1293/1.09, 1294/0.05, 1421/2.06, 1385/1.10, 1297/1.00, 1360/2.02,1365/0.12 बीघा कुल रकबा 12.07 बीघा वाके ग्राम किरावल तहसील मालपुरा जो तालाबी ा है का आवण्टन अप्रार्थीगण के पिता बालू पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण निवासी किरावल तहसील मालपुरा का दिनांक 07–04–69 को आवण्टन किया गया है। आवंटी के फौत होने पर विवादित भूमि का आवंटी के वारिसान के नाम नामांतकरण 1177, 1336 स्वीकार किया गया है। पत्रावली पर प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2059–60 के अनुसार विवादित भूमि तालाबी ा दर्ज है। नदी, नाले, तालाब आदि की भूमियां राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्णित है तथा इन भूमियों में खातेदारी अधिकार नहीं दिये जा सकते। माननीय उच्च न्यायालय के डी0बी0सिविल रिट याचिका संख्या 1536/03 निर्णय दिनांक 2.08.04 अब्दुल रहमान बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में यह धारित किया है कि प्रकरण में दिये गये अंतरिम निर्णय की पालना में गठित समिति की अनुशंषानुसार कार्यवाही की जावे। समिति द्वारा अनुशंषा की गई, अनुशंषा में अनुशंषा निम्न प्रकार है "All Land Shown as drainage channels Like nala, rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 Should be declared as Govt. land any conversion made after should be declared illegal. The

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

relevant act must be amended accordingly." इसकी पालना के निर्देशो के तहत तहसीलदार मालपुरा ने यह प्रकरण प्रस्तुत किया है। न्यायालय उपरोक्त विवेचनों के अनुसार यह पाता है कि प्रस्तुत प्रकरण में किया गया आवण्टन एवं उसकी पालना में खोला गया व अन्य के पक्ष में स्वीकृत नामांतकरण नियमानुकूल नहीं है। अतः ऐसे आवण्टन जो प्रारम्भ से ही शून्य है ओर उसके आधार पर प्राप्त खातेदारी अधिकार कायम रखे जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

6. अतः मूल प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को प्रेषित कर निवेदन है कि आवंटी बालू पुत्र जगन्नाथ ब्राहमण निवासी किरावल तहसील मालपुरा को विवादित भूमि खसरा नंबर 1269/3.03, 1293/1.09, 1294/0.05, 1421/2.06, 1385/1.10, 1297/1.00, 1360/2.02,1365/0.12 बीघा कुल रकबा 12.07 बीघा वाके ग्राम किरावल तहसील मालपुरा का दिनांक 07–04–1969 को किया गया आवण्टन एवं उसके आधार पर आवण्टी के पक्ष में भरे गये गैर खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 255 एंव खातेदारी का नामांतकरण सं0 1176 वाके ग्राम किरावल तहसील मालपुरा तथा आवंटी के वारिसान के पक्ष में स्वीकृत किये गये नामांतकरण सं0 1177, 1336 को निरस्त कर विवादित भूमि राज्य सरकार के पक्ष में पुनः तालाबी । दर्ज किये जाने की स्वीकृति प्रदान करे।

(लोकेश कुमार गौतम)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक–राज0

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक